वियना में आयोजित संसद के अध्यक्षों का पांचवां विश्व सम्मेलन: महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों को निरस्त करना ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय है।

माननीय सभापति और शिष्टमंडल के सदस्यगण,

भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है और देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

भारत ने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई से लेकर कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 14 लाख महिला प्रतिनिधि हैं।

साथियों, महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के अलावा हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन्स के प्रावधानों के अनुरूप विधान बनाने, अनेक कानूनों को निरस्त करने तथा संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिल सके। इन प्रयासों से भारत में Gender Equality तथा जेंडर जस्टिस के एक नए युग की शुरुआत हुई है।

महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'; 'सुकन्या समृद्धि', 'जननी सुरक्षा' तथा जन धन योजना आरंभ किए गए हैं। आज देश भर में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लगभग 70 लाख Self Help Groups कार्य कर रहे हैं।

साथियों, कोई भी देश अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर समाज को आगे नहीं बढा सकता है। अतः, सभी देशों की संसदों और जनप्रतिनिधियों को Gender Equal तथा Gender Sensitive समाज के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

संसदीय व्यवस्था को और जवाबदेह बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणालियों तथा परंपराओं के अंतर्गत हम कार्यपालिकाओं की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, समय की मांग है कि हमारी संसदें और सांसदगण

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और उत्थान कार्यक्रमों को संसदीय कामकाज में विशेष प्राथमिकता देने का सामूहिक संकल्प करें।

मैं आप सभी से इस प्रयास में शामिल होने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।